

मुख्यालय, ब्लॉक 7A, द्वितीय तल,ऑफिस काम्पेलक्स, सेक्टर– 24,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
Email Id- nanheadoffice@gmail.com Ph no- 0771-2973480

निगम के जिला कार्यालयों एवं मुख्यालय रायपुर के लिए

किराये पर वाहन लेने हेतु

ई– निविदा प्रपत्र

निविदा जारी करने की तिथि :– 27.09.2023

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिः– 26.10.2023

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
ब्लॉक नं. – 07 ए, द्वितीय तल, ऑफिस काम्पलेक्स
सेक्टर – 24, अटल नगर रायपुर
किराये के वाहन हेतु निविदा
//विषय सूची//

स.क.	विवरण	पृष्ठ कं.
1.	निविदा प्रपत्र विकय विवरण	02
2.	उद्बोधन	03
3.	निविदा की कार्यअवधि, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, न्यूनतम अर्हताएं एंव अनिवार्य दस्तावेज विवरण	04–05
4.	निविदा फार्म पर हस्ताक्षर, निविदा का ऑनलाईन कय, आनॅलाइन निविदा कैसे प्रस्तुत करे, निविदा में संशोधन, क्लेरिफिकेशन एवं परिमार्जन	05
6.	निविदा में डिजीटल हस्ताक्षर, निविदा खोलने की प्रकिया, प्रथम न्यूनतम निविदाकार का निर्धारण,बयाने की राशि	06
7.	प्रतिभूति राशि, निविदा की शर्तें	07–08
9.	दरों मे संशोधन/मुकरना/अनुबंध न करना, निविदाकार की संरचना,	09
10.	निविदाकार फर्म की स्थिति, संविदा के पक्षकार, निविदा की अवधि, संविदा निष्पादित करना एवं अयोग्यताएं एवं अन्य शर्तें	09–10
17.	निविदाकार का परिचय एंव संक्षिप्त विवरण (टेक्नीकल बीड)	11
18.	परिवहन दर हेतु फाइनेसियाल बीड का प्रारूप (वित्तिय बीड)	12
19.	सफल निविदाकार हेतु अनुबंध पत्र प्रारूप	13
27.	परिवहन निविदाओं में सत्य निष्ठा संधि लागू करने संबंधी घोषणा पत्र	14–20
28.	ई–निविदा संबंधी निर्देशिका	22–27

1) निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सील अंकित की जावेगी। समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जायेंगे।

2) समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

प्रबंध संचालक

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लॉक नं. – 07 ए, द्वितीय तल, ऑफिस काम्पलेक्स
सेक्टर – 24, अटल नगर रायपुर
वर्ष 2023–24

निगम के जिला कार्यालय एवं मुख्यालय रायपुर के लिये किराये पर वाहन लेने हेतु निविदा प्रपत्र

1. निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता : .....
2. दूरभाष क्र./मोबाइल नं : .....
3. निविदाकार का स्वरूप : .....
   (फर्म/कंपनी/स्वामित्व/हिन्दु
   अविभाजित परिवार)
4. निविदाकार का पैन एवं GST नम्बर : .....

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय नवा रायपुर, अटल नगर के कार्यालयीन उपयोग हेतु मुख्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए लगभग 40 वाहन (आवश्यकता अनुसार संख्या कम/अधिक हो सकती है।) अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिए किराये पर लिये जाने हेतु ऑनलाईन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा हेतु शेड्यूल निम्नानुसार है :–

Bid Start Date	27.09.2023	11.00 AM
Bid Due Date	26.10.2023	05.00 PM
Bid Open Date from	27.10.2023	11.00 AM
Pre Bid Date	06.10.2023	12.00 PM

टेक्निकल बीड के परीक्षण उपरांत फाईनेंशियल बीड खोलने की कार्यवाही की जायेगी ।

टिप्पणी –

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है ।
3. निविदा दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना है। निविदा दस्तावेज जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदाकारों को यह सुझाव दिया जाता है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रकिया का विधिवत् अध्ययन कर लें एवं अंतिम समय का इंतजार किए बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा जमा किया जाना चाहिए ताकि अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में तकनीकी समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई न हो। अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा नहीं होने पर समयावृद्धि करने हेतु कोई दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और ना ही मैन्युअल निविदा स्वीकार की जावेगी।
4. निविदा दस्तावेज की प्रति निविदाकार द्वारा Online अपलोड की जावेगी एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सीलयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
5. निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा फार्म के लिए राशि रू. 2500.00 (दो हजार पांच सौ रूपये मात्र) प्रोसेसिंग फीस एवं रू. 311.00 (तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र) बीड सबमिशन फीस कुल राशि रू. 2811.00 (दो हजार आठ सौ ग्यारह रूपये मात्र) वेबसाईटं http://eproc.cgstate.gov.in में निर्धारित लिंक में चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना होगा।
6. निविदा दस्तावेज आनलाईन जमा करने से पहले ही निविदाकार का ई प्रोक्यूरमेंट वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में पंजीयन हो तथा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करने का दायित्व निविदाकार का है।
7. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा फार्म में **पृष्ठ 01 से 27** तक समाहित है। उपरोक्त समस्त निर्देश भी निविदा के भाग है।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

Scanned with OKEN Scanner

उद्‌बोधन

प्रिय निविदाकार,

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय नवा रायपुर, अटल नगर के कार्यालयीन उपयोग हेतु मुख्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए लगभग 40 वाहन अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिए किराये पर लिये जाने हेतु ऑनलाईन ई– निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. उल्लेखनीय है, कि यह कार्पोरेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध होकर छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम के रूप में वर्ष 2001 से कार्यरत है। कार्पोरेशन द्वारा मुख्यतः जन उपयोगी कार्य किए जा रहे है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्नों का भंडारण एवं वितरण किया जाता है। कार्यालयीन उपयोग हेतु मुख्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए लगभग 40 वाहन अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिए किराये पर लिये जाने हेतु ऑनलाईन ई– निविदा आमंत्रित की जा रही है।

3. निविदाकार से अनुरोध है कि कृपया कार्पोरेशन द्वारा जारी निविदा आमंत्रण सूचना व इन दस्तावेजों को भली भांति पढ़ने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत करें।

4. इस उद्‌बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदिं इस परिवहन संविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्ध रहने के लिए बाध्य होगा।

उक्तानुसार आपसें अनुरोध है कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन कर कार्पोरेशन के वृहद् जन उपयोगी और व्यवसायिक कार्यों में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें आनलाईन प्रस्तुत करें।

शुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

Scanned with OKEN Scanner

वाहन किराया ई–निविदा हेतु निविदा संबंधी प्रकिया, संविदा को शासित करने नियम एंव शर्ते

1. **निविदा की कार्य अवधिः–**
वाहन किराया ई–निविदा हेतु निविदाओं की निर्धारित कार्य अवधि 01 वर्ष हेतु आमंत्रित हैं परंतु निगम अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कार्य अवधि में अधिकतम 03 माह की वृद्धि कर सकता हैं जो निविदाकार पर बंधनकारी होगा।

2. **निविदा के उद्देश्यः–**
इस निविदा का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय नवा रायपुर, अटल नगर के कार्यालयीन उपयोग हेतु मुख्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए लगभग 40 वाहन अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिए किराये पर लिये जाने हेतु ऑनलाईन ई– निविदा आमंत्रित की जाती है।

3. **निविदा का कार्यक्षेत्रः–**
निविदा में आमत्रित वाहनों का उपयोग छ.ग राज्य में कही भी किया जा सकता है।

4. **न्यूनतम अर्हतांए एंव अनिवार्य दस्तावेज का विवरण**
निविदाकार को टेक्नीकल बीड के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति, स्वयं हस्ताक्षर करने के उपरांत आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा, **इनमें से किसी भी दस्तावेज के अभाव में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।**

	अर्हतांए		विवरण
	टेक्नीकल बीड में सफल होने के लिए निविदाकार को निम्न अर्हतांए अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी।		अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्नीकल बीड में आनलाईन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा टेक्नीकल बीड निरस्त कर दी जावेगी।
स.क.	अनिवार्य अर्हताएं	स.क.	अनिवार्य दस्तावेज
4.1	एक ही फर्म अथवा प्रोप्राराइटरशीप के नाम से न्यूनतम 10 वाहनों का पंजीयन टैक्सी परमिट के रूप में होने संबंधी प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेज।	4.1	अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में वाहन के पंजीयन की स्व–हस्ताक्षरित प्रति। सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्नीकल बीड में आनलाईन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा टेक्नीकल बीड निरस्त कर दी जावेगी।
4.2	निर्धारित अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करना अनिवार्य है।	4.2	निर्धारित अमानत राशि रू 3,00,000.00 (ईएमडी) निविदादाता स्वंय/फर्म/संस्था/कंपनी के बैंक खाते से निगम खाते में आर.टी.जी.एस./ट्रांसफर/आनलाईन ट्रांसफर के माध्यम से जमा करने के प्रमाण के रूप में पावती की स्व–प्रमाणित छायाप्रति।
4.3	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाताधारक हो।	4.3	आयकर स्थायी खाता कमांक (PAN) की प्रमाणित छायाप्रति ।
4.4	वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में से किन्ही दो वर्षो के आयकर विवरणी।	4.4	वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में से किन्ही दो वर्षो के आयकर विवरणी की स्व–प्रमाणित छायाप्रति।
4.5	निविदाकार भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एंव कंपनी की स्थिति में कंपनी के अंतर्गत तथा सहकारी संस्था होने की दशा में संस्था का पंजीकृत होना चाहिए।	4.5	निविदाकार के कंपनी होने की स्थिति में कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित छायाप्रति एंव पार्टनरशीप फर्म होने पर पार्टनरशीप एक्ट अंतर्गत पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति तथा सहकारी संस्था होने की दशा में संस्था का पंजीयन की छायाप्रति अनिवार्य है।
4.6	निविदाकार स्वामित्व /फर्म / भागीदारी / कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।	4.6	फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुख्त्यारनामा की स्व–प्रमाणित प्रति। स्वामी/प्रोपराइटर द्वारा स्वंय निविदा भरने की दशा में आवश्यक नही है।
4.7	व्यवसाय का जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र।	4.7	स्थानीय निकाय/नगर पालिका/नगर निगम/नगर पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति।
4.8	वाहन के वर्ष 2020 तथा इसके बाद का क्रय के संबंध में दस्तावेज ।	4.8	अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में वाहन के पंजीयन की स्व–हस्ताक्षरित प्रति। सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्नीकल बीड में आनलाईन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा टेक्नीकल बीड निरस्त कर दी जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

4.9	रोड टैक्स, वाहन का बीमा संबंधी कागजात तथा वाहन चालक का जीवित ड्राईविंग लाईसेंस।	4.9	रोड टैक्स का भुगतान की प्रति। वाहन के जीवित बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र एवं वाहन चालक का जीवित ड्राईविंग लाईसेंस की स्व –प्रमाणित प्रति।
4.10	वाहनों का प्रदूषण जांच संबंधी वैध प्रमाण पत्र।	4.10	वाहनों का प्रदूषण जांच संबंधी वैध प्रमाण पत्र की स्व –प्रमाणित प्रति।
4.11	निविदाकार का वार्षिक टर्नओवर औसत 50 लाख से अधिक होने का प्रमाण पत्र।	4.11	निविदाकार का वार्षिक टर्नओवर औसत 50 लाख से अधिक होने का सी.ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
4.12	निविदाकार के नाम से जीवित जी.एस.टी पंजीयन की प्रति।	4.12	निविदाकार के नाम से जीवित जी.एस.टी पंजीयन की स्व –प्रमाणित प्रति।

5. <u>निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :–</u>

स्वामित्व/फर्म/कंपनी/संस्था के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर हस्ताक्षर करें, वे अपनी हैसियत का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बीड निरस्त कर दी जावेगी। मुख्त्यारनामा में अधिकृत व्यक्ति का संपूर्ण विवरण के साथ प्रमाणित हस्ताक्षर अनिवार्य है।

क्रं.	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन प्रस्तुत कर सकेगा
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वंय या उसका मुख्त्यारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2.	भागीदारी फर्म	सभी भागीदारी या उनका मुख्त्यारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3.	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अंर्तनियमों (मेमोरेंडम ऑफ वर्ल्ड ऐसोसिएशन एण्ड आर्टिकल्स) की प्रति भी प्रस्तुत करना होगा)।
4.	सहकारी संस्था	संस्था के मुखत्यारनामा अधिकृत व्यक्ति

6. <u>निविदा का आनलाईन कय</u> –

निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्युमेंट) छ.ग शासन की वेबसाइट **http://eproc.cgstate.gov.in** पर निविदा दस्तावेज के लिए राशि रू. 2500.00 (दो हजार पांच सौ रूपये मात्र) प्रोसेसिंग फीस एवं रू. 311.00 (तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र) बीड सबमिशन फीस कुल राशि रू. 2811.00 (दो हजार आठ सौ ग्यारह रूपये मात्र) चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन भुगतान कर कय की जा सकती है।

7. <u>आनलाईन निविदा कैसे प्रस्तुत करें:–</u>

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय नवा रायपुर, अटल नगर के कार्यालयीन उपयोग हेतु मुख्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए लगभग 40 वाहन अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिए किराये पर लिये जाने हेतु ऑनलाईन ई– निविदा आमंत्रित की गई है, निविदा आनलाईन प्रस्तुत किया जाना होगा।

7.1 आनलाईन निविदा दो बीड सिस्टम 1. तकनीकी बीड 2. फाइनेशियल बीड के आधार पर वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in पर आनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।

7.2 निविदा दस्तावेज एंव निविदा प्रकिया आनलाईन भरने से संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु <u>ई–निविदा संबंधी निर्देशिका</u> का अवलोकन कर संपर्क किया जा सकता है।

8. <u>निविदा में संशोधन, क्लेरिफिकेशन व परिमार्जनः–</u>

8.1 कार्पोरेशन निविदा की शर्तो में निविदा जमा करने हेतु नियत तिथि से 07 दिवस पूर्व तक संशोधन, क्लेरिफिकेशन व परिमार्जन कर सकता है। ऐसे सभी संशोधन, क्लेरिफिकेशन व परिमार्जन निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जायेगें।

8.2 सभी संशोधन, क्लेरिफिकेशन व परिमार्जन आदि वेबसाइट <u>http://eproc.cgstate.gov.in</u> पर ही प्रदर्शित किए जावेगें।

8.3 सभी निविदाकर्ताओं से अपेक्षा हैं कि वे समय – समय पर वेबसाइट <u>http://eproc.cgstate.gov.in</u> पर कार्पोरेशन द्वारा किए गए संशोधन, क्लेरिफिकेशन व परिमार्जन आदि को भी देखते रहे। निविदाकार को उक्तानुसार संशोधनों आदि के कारण किसी भी प्रकार की त्रुटि, भ्रांति/शंका व वेबसाइट अपडेट रूप से न देखने के कारण असफलता/हानि या किसी प्रकार की क्षति होती हैं, तो कार्पोरेशन का उत्तरदायित्व नही होगा।

Scanned with OKEN Scanner

9. निविदा में डिजीटल हस्ताक्षरः–

ऑनलाईन निविदा, निविदाकार या उसके अधिकृत प्राधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर से प्रस्तुत होना चाहिए। निविदा में निविदाकार द्वारा उसका पूरा नाम, पूरा पता एंव हैसियत (जैसे–स्वामी/भागीदार/कंपनी सचिव/प्रबंध संचालक/मुख्त्यार या संचालक इत्यादि अनिवार्यतः स्पष्ट करेगे। निविदाकार की ओर से यदि अधिकृत व्यक्ति द्वारा निविदा डिजीटल हस्ताक्षर से प्रस्तुत होती हैं, तो इस संबंध में स्वप्रमाणित मूल पॉवर आफ एटार्नी दस्तावेज/अधिकार पत्र स्केन कर अपलोड कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त पावर ऑफ एटार्नी के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जाएगा। उक्त अधिकारिता प्रमाण के अभाव में तकनीकी बीड निरस्त कर दी जायेगी।

10. निविदा खोलने की प्रकियाः–

निगम मुख्यालय में निर्धारित दिनांक व समय पर आनलाईन टेक्नीकल बीड खोली जावेगी, व उनका परीक्षण किया जावेगा । तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों की घोषणा के पश्चात् सफल निविदाकारों की आनलाईन फाईनेंसियल बीड निर्धारित दिनांक को खोली जायेगी। निविदा खोलते समय स्वंय निविदाकार या इनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वंय के व्यय पर उपस्थिति हो सकते है।

11. प्रथम न्यूनतम निविदाकार का निर्धारणः–

इस निविदा में वाहनों के प्रकार के आधार पर वर्ग अ/ब/स हेतु पृथक–पृथक वित्तीय दरें प्रस्तुत की जानी है। प्रत्येक वर्ग हेतु विभिन्न निविदाकारों से प्राप्त दरों को प्रत्येक वर्ग हेतु प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर पृथक–पृथक एल–1 दरें निर्धारित की जावेगी एवं प्रत्येक वर्ग हेतु प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर अलग–अलग वाहन के वर्गो हेतु पृथक–पृथक अनुबंध किये जावेंगे। निगम को दरें अधिक प्रतीत होने पर एल–1 निविदाकार से निगोसिएशन किया जा सकेगा। वर्गवार लिये जाने वाले वाहनों की संख्या के निर्धारण का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

12. बयाने की रकम (अर्नेस्ट मनी):–

12.1 निविदाकार को प्रत्येक निविदा के साथ ही बयाने की रकम (अर्नेस्ट मनी) निविदादाता के स्वंय/फर्म/सहकारी संस्था/कंपनी के बैंक खाते से **CHHATTISGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORP** के नाम से संचालित भारतीय स्टेट बैंक, कामर्शियल ब्रांच के चालू खाता कमांक 32169202827 **(IFSC code SBIN0008536)** में R.T.G.S./आनलाईन ट्रांसफर के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। बयाने की रकम के अभाव में निविदा फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा।

12.2 अमानत राशि प्रस्तुत करते समय, बैकों द्वारा कमीशन एंव ट्राजेक्शन चार्जेस आदि के नाम पर वसूली जाने वाली राशि को जोड़ते हुए, निविदाकार अमानत राशि के रूप में आनलाईन इतनी राशि जमा करे कि कार्पोरेशन के खाते में स्थानातंरित राशि, वांछित अमानत राशि से कम न हो अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी।

12.3 किसी भी अन्य निविदा फार्म के साथ या अन्य कार्य हेतु जमा अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) को इस निविदा फार्म के लिए जमा नही माना जाएगा।

12.4 अस्वीकृत निविदाकारों की अमानत राशि निर्णय उंपरात नियमानुसार संबंधित निविदाकारों को वापस की जाएगी।

12.5 निविदाकार द्वारा दर प्रस्तुत करने के पश्चात् उसे वापस लेने अथवा स्वीकृति के बाद दिए गए अवधि में अनुबंध न करने के फलस्वरूप प्रस्तुत अमानत/जमानत राशि जप्त की जा सकेगी, या निविदाकर्ता को आगामी 3 वर्ष के लिए ब्लेकलिस्ट/प्रतिबंधित/अयोग्य घोषित किया जा सकेगा, अथवा दोनो कार्यवाही एक साथ की जा सकेगी।

12.6 यदि निविदाकार अपना निविदा फार्म प्रस्तुत करने के बाद मुकर जाता है या हटता है या अपने प्रस्ताव में और/या उसकी शर्तो तथा नियमों में कोई संशोधन करता है, तो बयाने की राशि (अर्नेस्ट मनी) बिना किसी अन्य आदेश के स्वयं ही जप्त हो जायेगी अथवा/ तथा जप्त मानी जायेगी। ऐसी जप्ती की सूचना निविदाकार को पृथक से देना कार्पोरेशन के लिए आवश्यक नहीं होगा।

12.7 सफल निविदाकार की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) अनुबंध के समय प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जाएगी। किसी भी स्थिति में अमानत राशि पर कोई ब्याज नही दिया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

13. **प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी राशि):–**

13.1 प्रतिभूति राशि रू 10.00 लाख होगी। सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति दिनांक से 07 दिवस के भीतर बयाने की राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित करने का आवेदन प्रस्तुत करते हुए शेष प्रतिभूति राशि रू 7.00 लाख जमा कर कार्पोरेशन के साथ अनुबंध निष्पादन करना अनिवार्य है।

13.2 संविदा के समाप्त होने की स्थिति में कार्पोरेशन को निविदाकार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि को पूर्णतः या अंशतः जप्त करने या प्रतिभूति राशि या उसके किसी भाग को कार्पोरेशन द्वारा खर्च किये गये या किये जाने पर खर्च, कीमत शुल्क हानि, क्षति के लिये बकाया किसी धन में समायोजित करने का अधिकार होगा।

13.3 निविदाकार की प्रतिभूति राशि सेवाओं के उचित एवं संतोषजनक पालन होने एवं संविदा के नियमों, निर्देशों एवं शर्तो पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर समस्त उत्तरदायित्व के निविदाकार द्वारा पूर्ण किये जाने पर इस शर्त पर वापिस की जायेगी, कि यदि संविदा के संबंध में निविदाकार के नाम कार्पोरेशन के खर्च हो, तो उनको पूरा करने के लिये प्रतिभूति राशि से कटौत्री कर ली जायेगी, साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि जमा संबंधी दस्तावेज जैसे चालान की प्रति आदि जिससे यह पुष्टि हो कि नियमानुसार ईपीएफ की राशि जमा की जा चुकी हैं की संतुष्टि उपरांत जमा अमानत/जमानत राशि निगम द्वारा वापस की जावेगी।

13.4 निविदाकार द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति/किसी भी राशि पर तथा देयकों की लंबित राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या/अन्य कोई क्षति देय नही होगा।

13.5 कार्य समाप्ति के 06 माह के भीतर प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकती है।

14. **निविदा की शर्तेः–**

14.1 वाहनों चालकों का मोबाईल नम्बर प्रदान किया जाना आवश्यक होगा, एवं वाहन चालक को अपने पास मोबाईल अनिवार्य रूप से चालू हालत में रखना होगा।

14.2 वाहन चालक का वेतन, भत्ता, पी.एफ एवं अन्य संवैधानिक भुगतानों की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।

14.3 वाहन को निगम मुख्यालय अथवा उपयोगकर्ता अधिकारी के निवास में, जैसा भी आदेशित किया जाये, रखा जाना होगा।

14.4 जिलो में उपयोग हेतु बोलेरो एवं समतुल्य वाहन उपलब्ध कराया जाना होगा एवं मुख्यालय स्तर पर उपयोग हेतु अनुबंध अनुसार वाहन उपलब्ध कराना होगा।

14.5 वाहन के रख–रखाव व फ्यूल से संबंधित सभी व्यय वाहन के मालिक को वहन करना होगा तथा आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग किया जावेगा, समय का कोई बंधन नहीं होगा।

14.6 किराये की गणना निगम के उपयोग में वाहन के आने के दिनांक से मासिक आधार पर की जावेगी तथा दूरी की गणना निगम द्वारा वाहन रखे जाने हेतु निर्धारित किये गये स्थान के आधार पर की जावेगी।

14.7 वाहन का टायर ट्यूब एवं स्टेपनी/टूल्स हमेशा अच्छी हालत में अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

14.8 चालक द्वारा प्रतिदिन वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी से लॉग बुक लिखाना एवं प्रमाणित कराना होगा एवं हस्ताक्षर करवाना होगा, उसी के आधार पर किराया भुगतान किया जावेगा।

14.9 वाहन चालक को साफ–सुथरे कपड़े में अनुशासित एवं मर्यादित व्यवहार में रहना होगा।

14.10 वाहन का माईलोमीटर सदैव कार्यशील अवस्था में होना चाहिए।

14.11 वाहन संतोषप्रद नहीं चलने पर अथवा वाहन चालक का व्यवहार खराब होने के कारण वाहन कभी भी वापस की जा सकेगी।

14.12 सफल निविदाकार द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विभाग द्वारा अन्य निविदाकार तथा अन्य व्यक्ति/ट्रैवल्स एजेन्सी से समानदर व शर्तों पर वाहन लिया जा सकेगा। अनुबंध की शर्तें पूरी न करने पर संबंधित निविदाकार को निगम कार्यो के लिये 03 वर्ष के लिये प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

14.13 अनुबंध अवधि के अंतर्गत वाहन की सुरक्षा का सम्पूर्ण दायित्व निविदाकार/वाहन चालक का रहेगा। उपयोग अवधि में किसी भी प्रकार की घटना/ दुर्घटना से यदि वाहन/जान–माल को कोई क्षति पहुंचती है तो इसकी जवाबदारी निविदाकार की होगी।

14.14 वाहन किराये पर लेने व नही लेने का अधिकार अथवा किसी भी एजेन्सी का वाहन किराये पर लेने कां अधिकार प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

14.15 निगम को आवश्यकता नही होने पर किसी भी समय वाहन संबंधित निविदाकार को वापस किया जा सकता है।

14.16 अनुबंधकर्ता द्वारा देयक मासिक आधार पर प्रत्येक माह की समाप्ति के एक सप्ताह की अवधि में सत्यापित देयक दो प्रतियों में लॉगबुक/लॉगकार्ड की छायाप्रति के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

14.17 वाहन से संबंधित समस्त शुल्क जिसमें पार्किंग, टोल टेक्स, चालान आदि के भुगतान की जिम्मेदारी सफल निविदाकार/वाहन मालिक की होगी।

14.18 वाहन एवं वाहन चालक की पूर्ण जोखिम वाहन स्वामी का होगा। निगम की कोई जम्मेदारी नहीं होगी।

14.19 लगातार 02 माह तक वाहन चालक को वेतन भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित वाहन के देयक भुगतान रोकने की कार्यवाही की जा सकती है।

14.20 जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे स्वीकृत दरों पर एक वर्ष की अवधि हेतु 100/– रू. के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर मे अनुबंध करना अनिवार्य होगा। सफल निविदाकार की उपयुक्तता के आधार पर इस अनुबंध की अवधि पुनः अधिकतम 03 माह तक बढ़ाये जाने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित होगा।

14.21 निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालक की अनुपस्थिति की दशा में निविदाकार द्वारा वैकल्पिक वाहन चालक की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

14.22 किसी भी स्थिति में नॉन टैक्सी परमिट वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज की वैधता/सत्यता की संपूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी। वाहन का परमिट, बीमा एवं अन्य दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में युक्ति–युक्त प्रमाण देने के उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

14.23 यदि निविदिाकार द्वारा स्वयं के वाहनो के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति/एजेन्सी के वाहन का उपयोग किया जाता है, तो संबंधित वाहन मालिक की अनापत्ति अनिवार्य होगी एवं वे वाहन भी ट्रैक्सी परमिट वाले होना अनिवार्य है।

14.24 प्रथम बार भुगतान प्राप्त करने हेतु निरस्त चैक की प्रतिदेयक के साथ लगानी होगी। समस्त भुगतान RTGS/PFMS के माध्यम से किये जावेंगें। नियमानुसार करों की कटौती देयक से की जावेगी। पेन नं./जी.एस. टी. नम्बर उपलब्ध नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

14.25 निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

14.26 निविदाकार को स्वीकृत दरों के अतिरिक्त कार्पोरेशन द्वारा अन्य किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा।

14.27 कर, ईंधन एवं श्रमिक आदि की दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप कार्पोरेशन द्वारा स्वीकृत दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

15. दरों में संशोधन/मुकरना/अनुबंध न करनाः–

निविदाकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व दर संशोधन करता हैं या अपनी दर से मुकरता हैं या निर्धारित तिथि तक अनुबंध नही करता हैं, तो उस पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगीः–

15.1 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत जमा अमानत/जमानत राशि कार्पोरेशन के पक्ष में जप्त किया जावेगा, या निविदाकर्ता को आगामी 03 वर्षो के लिए प्रतिबंधित/अयोग्य/ब्लेकलिस्टेड/डिबार घोषित किया जा सकता हैं, अथवा दोनो कार्यवाही एक साथ की जाएगी।

16. निविदाकार की संरचना :–

निविदा प्रस्तुत करते समय निविदाकार यह घोषित करेंगें कि वह पूर्ण स्वामित्व प्राप्त संस्था है, या पंजीकृत भागीदारी फर्म या निजी मर्यादित कंपनी या भारत में निर्गमित सार्वजनिक मर्यादित कंपनी आदि। निविदा में भागीदारी फर्म की सरंचना, कंपनी के संचालकों के नाम स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए। निविदाकार ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करेगें, जिनके हाथों में संविदा के दौरान संविदा से संबंधित कार्य का नियंत्रण एवं सकिय प्रबंध रहेगा। इन व्यक्तियों के नाम अधिकार पत्र, नाम, पता, प्रमाणित हस्ताक्षर एवं छाया चित्र वांछित मात्रा में निविदाकारों द्वारा जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किए जावेगें। ऐसे मनोनीत किए गये व्यक्तियों को यह समझा जावेगा कि उस संविदा के संबंध में निविदाकार से विधिवत् मुख्त्यारनामा प्राप्त है, और उसके समस्त कार्य निविदाकार के लिए बाध्य होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

17. निविदाकार फर्म की स्थितिः–

17.1 निविदाकार संविदा की अवधि के दौरान कार्पोरेशन की पूर्व अनुमति के बिना फर्म की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। निविदाकार अपने किसी साझेदार/संचालक की मृत्यु या त्यागपत्र की दशा में कार्पोरेशन को तत्काल सूचित करेगा। यदि फर्म की संरचना में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत परिवर्तन फर्म की शर्तो के अनुसार अनिवार्य हो जाता है, तो ऐसी दशा में ऐसे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एवं सोसायटीज, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तत्काल ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिन के भीतर कार्पोरेशन को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगी।

17.2 जहां निविदाकार भागीदारी फर्म है, कार्पोरेशन की पूर्व लिखित सहमति के बिना फर्म में नये भागीदार को शामिल नहीं किया जावेगा। नये भागीदार को शामिल होने की अनुमति उसके द्वारा यह लिखित वचन निष्पादित करने पर प्रदान की जावेगी कि यह संविदा को पूरा करेगा और ऐसा वचन देने के पूर्व संविदा के अधीन फर्म द्वारा किए गये समस्त दायित्व को वह स्वीकारता है।

17.3 संविदा के पूर्ण होने के पूर्व निविदाकार फर्म की किसी भी भागीदार की मृत्यु/सेवा निवृत्त होने पर कार्पोरेशन अपनी इच्छा से संविदा को निरस्त कर सकता है ऐसी दशा में परिवहनकर्ता फर्म को कार्पोरेशन के विरूद्व किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार नहीं होगा। फर्म से किसी भागीदार के सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी यदि संविदा समाप्त नहीं की जाती है, तो उस भागीदार का संविदा के अंतर्गत फर्म के कार्यो के लिए उत्तरदायी होना तब जारी रहेगा जब तक कि उसके द्वारा कार्पोरेशन को पंजीकृत डाक से भागीदारी अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना की प्रति नहीं भेजी जाती।

17.4 निविदाकार की मृत्यु उपरांत भुगतान एवं समान शर्तो पर नामांकित व्यक्ति को निविदा जारी रखना/निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

18. संविदा के पक्षकारः–

18.1 संविदा के पक्षकार निविदाकार एंव छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो लि. है। संविदा पर स्वंय निविदाकार जिसने निविदा भरी हो, या निविदाकार द्वारा जिसे विधिक रूप से मुख्त्यारनामा देकर अधिकृत किया हो, हस्ताक्षर करेगा। निविदाकार को मुख्त्यारनामा की मूल प्रति अनुबंध के समय कार्पोरेशन में जमा करना अनिवार्य है। कार्पोरशन की ओर से संबंधित निगम के अधिकारी हस्ताक्षर करेगें।

18.2 **यह निविदा 120 दिन तक वैध रहेगी।**

18.3 कार्पोरेशन द्वारा जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की ज़ायेगी, उसे कार्पोरेशन की ओर से सूचना मिलने पर (7 दिवस में) कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा कर कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित **अनुबंध पत्रक** पर रू. 100/– के मुद्रांक पत्र पर निम्न वांछित कागजात के साथ कार्पोरेशन के जिला कार्यालय में उपस्थित होकर निष्पादित करना अनिवार्य होगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है, कि अनुबंध हेतु निर्दिष्ट समयावधि में सफल निविदाकार को अनुबंध करना ही होगा चाहे कार्पोरेशन द्वारा कार्य तत्समय करवाया जाये या नहीं समयावधि में सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध न करने पर कार्पोरेशन द्वारा अन्य निविदाकार से न्यूनता के क्रम अनुसार कार्पोरेशन के स्वीकृत दर पर अनुबंध कराया जा सकेगा। तथा सफल प्रथम न्यूनतम परिवहनकर्ता का अनुबंध का अवसर समाप्त कर दिया जावेगा व अमानत राशि स्वमेव राजसात हो जायेगी।

19. अयोग्यताएंः–

19.1 निगम द्वारा दिए गए कार्य आदेश के अनुसार कार्य में निराशाजनक/टालमटोल प्रदर्शन को निविदाकार की कार्य हेतु अयोग्यता मानी जावेगी।

19.2 निविदाकार या उससे संबंधित उसके पार्टनर/बिजनेस एसोसिएट्स/स्टाफ/वाहन चालक के विषय में कार्पोरेशन को यह विश्वास होने पर कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा/आचरण संदिग्ध हैं, तब कार्पोरेशन की सर्वोच्च छवि एंव हितों के लिए ऐसे परिवहनकर्ता को उसी समय कार्पोरेशन से संबंद्व समस्त कार्यवाही के लिए अयोग्य घोषित कर प्रचलित प्रक्रिया/संविदा से हटा देगा। निविदाकार के इस कृत्य के कारण कार्पोरेशन की प्रतिष्ठा, छबि, कार्यकुशलता पर आए विपरीत प्रभाव की वसूली निविदाकार से की जावेगी।

19.3 निविदाकार द्वारा असत्य, छलपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने, संविदा के नियम, निर्देश, शर्त का उल्लघंन करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और अनुबंध की शेष अवधि के लिए निविदाकार की जोखिम एंव खर्च पर कार्य कराया जाकर राशि वसूली की जावेगी, एंव नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

19.4 निविदा प्रस्तुती/स्वीकृति उपरांत कूटरचित/असत्य दस्तावेज पाए जाने की दशा में निविदाकार से किया गया अनुबंध निरस्त कर तथा निविदा/अनुबंध के साथ जमा अमानत/जमानत राशि निगम पक्ष में राजसात किया जावेगा, या निविदाका को आगामी 03 वर्ष के लिए प्रतिबंधित/अयोग्य/ब्लेक लिस्टेड/डिबार घोषित किया जा सकता है, अथवा दोनो कार्यवाही की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

19.5 अनुबंध निष्पादन उपरांत कार्य आदेश के विपरीत कार्य करना पाए जाने पर अथवा स्थानीय प्रशासन अथवा निगम प्रबंधन द्वारा निविदाकार के विरूद्व प्राप्त शिकायत एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने की दशा में अनुबंध निरस्त किया जाकर अनुबंध के साथ जमा अमानत/जमानत राशि निगम हित में राजसात कर ली जाएगी एवं प्रतिबंधित/अयोग्य/काली सूची में नाम दर्ज की जा सकती है।

20. निविदा खुलने के पश्चात् निविदाकारों द्वारा दर, शर्त संबंधी परिवर्तन हेतु कोई भी आवेदन विचार योग्य नही होगा।

21. निविदाकारों को निविदा में कोई शर्त शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि सशर्त निविदा विचार योग्य नहीं होगी।

22. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय माना जायेगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्त, नियम व कार्य पद्धति इत्यादि अध्ययन कर समझ ली है और उन्हें स्वीकार कर लिया है।

23. राज्य शासन के निर्देशानुसार निविदा प्रकिया में स्वच्छ एवं पारदर्शिता की दृष्टि से सत्यनिष्ठा संधि लागू किया गया हैं, जिसका पालन प्रत्येक निविदाकार को अनिवार्यत करना होगा।

24. किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाये पूर्ण/आंशिक मान्य अथवा अमान्य करने का या निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।

25. कर्मचारी/श्रमिक भविष्य निधि से संबंधित समस्त प्रावधान निविदाकार पर बंधनकारी होगें। उक्त अधिनियमों तथा कर्मचारी श्रमिकों से संबंधित किसी विधिक प्रावधान के पालन के संबंध में कार्पोरेशन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

26. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कोई भी कर/दायित्व/अधिभार आदि लागू किये जाने की दशा में भुगतान की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। निविदिाकार द्वारा भुगतान नहीं किये जाने की दशा में देयकों से कटौती कर भुगतान किया जावेगा।

27. इस निविदा में उल्लेखित समस्त कंडिकाओं और परिशिष्टों के अभिप्राय (इंटरप्रिटेशन), व्याख्या और स्पष्टता के विषय में किसी भी प्रकार से उत्पन्न विवाद का अंतिम निर्णय कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा, जो दोनो पक्षों (निगम एंव निविदाकार) को मान्य होगा।

28. निविदाकार एवं उसके द्वारा नियोजित समस्त कर्मचारी/श्रमिक/प्रतिनिधी कार्पोरेशन. के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से सौहार्दपूर्ण तरीके से सामंजस्य स्थापित कर विवेक रखते हुये परिवहन कार्यों के सुचारू संपादन में भी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। निविदाकार की अथवा उसके कर्मचारियों की अथवा उसके कर्मचारियों/अधिकारियों की निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों से झगड़ालू दबाव की मनोवृत्ति/प्रवृत्ति अथवा अभद्र, अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शित होने पर निगम के जिला प्रबंधक/संबंधित अधिकारी की रिपोर्ट पर निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे उसके अनुबंध को तत्काल समाप्त कर दें एवं उसके इस प्रकार की कृत्यों के लिये आगामी निविदाओं में उस कार्य विशेष के लिये किसी भी हैसियत से भाग से वंचित कर दें एवं अन्य क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर वसूली निर्धारित करें।

<u>टीपः–</u>

प्री–बीड बैठक – किराये पर वाहन लिये जाने हेतु निविदा के संबंध में निविदाकारों के समक्ष निगम मुख्यालय ब्लाक – 7 "ए" द्वितीय तल. सेक्टर –24, ऑफिस काम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर में दिनांक 06.10.2023 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित किया जाता है, जिसमें निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारों को स्वंय के खर्चे पर उपस्थित होना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(तकनीकी बीड)

निविदाकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज
कार्पोरेशन लिमिटेड,
मुख्यालय– नवा रायपुर, (छ.ग.)

1. निविदाकार का पूरा नाम एवं पता : .....
.....
.....
2. दूरभाष क्र./मोबाईल नं. : .....
.....
3. निविदाकार का स्वरूप : .....
(फर्म/कंपनी/स्वामित्व/हिन्दु अविभाजित परिवार)
.....
4. निविदाकार के नाम से पंजीकृत वाहनों की संख्या :
(प्रत्येक वाहन का पंजीयन, परमिट की सत्य प्रति संलग्न करें।) .....
5. निर्धारित जमा की गई अमानत राशि: .....
का विवरण (निगम के खाते में जमा .....
RTGS की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न) .....
6. GST एवं पैन नम्बर की प्रमाणित प्रति : .....

6. निविदा में उल्लेखित न्यूनतम अर्हताओ एवं इससे संबंधित अनिवार्य दस्तावेजो की सूची। (सभी दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रति ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।)

7. यदि निगम द्वारा हमें/मुझे किराये के वाहन की निविदा स्वीकृत की जाती है तो हम/मै नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध करने के लिए सहमत है/हूँ।

8. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियॉ मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक– .....

स्थान– .....

हस्ताक्षर सील सहित – .....
नाम – .....
फर्म का नाम – .....
पूरा पता – .....

नोट :– इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्ट अति आवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

(वित्तीय बीड)
निविदाकर्ता का संक्षिप्त विवरण एवं वित्तीय प्रस्ताव

निविदाकर्ता का नाम : .....

पता : .....

: .....

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्ला. कार्पो. लिमि.,
नवा रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड किराये पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/मैंने कार्यालय में निर्धारित राशि जमाकर निर्धारित फार्म को हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशो/संविदा शर्तो, नियमों तथा इसके परिशिष्ट/संलग्नकों में दिये गये विवरण को भली–भॉति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मै उनके पालन के लिए सहमत है/हूँ, एवं तदानुसार निम्न लिखित दरें प्रस्तुत कर रहे है।

निविदा दर

वर्ग	वाहन का प्रकार	किराया प्रतिमाह/प्रति वाहन 2000 किलोमीटर तक (जी.एस.टी अतिरिक्त)
अ	इनोवा क्रिस्टा,स्कार्पियो,जाइलो,एवं समतुल्य वाहन (AC वाहन)	
ब	होंडा सिटी, हुण्डई वरना,मारूती सियाज, किया सेल्टोस,हुण्डई क्रेटा, इकोस्पोर्ट, एवं समतुल्य वाहन (AC वाहन)	
स	बोलेरो एवं समतुल्य वाहन (AC वाहन)	

टीपः– वाहन 2000 किलोमीटर से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर हेतु प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर भुगतान किया जावेगा।

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है, निविदा की सभी शर्तो एवं नियमों को पढ़ लिया गया है तथा मुझे मान्य है।
2. मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई किसी भी प्रकार की कार्यवाही मुझे मान्य है।
3. उपरोक्त निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

दिनांक–.....

स्थान–.....

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

Scanned with OKEN Scanner

(100/– रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज्ड)

संविदाकार की फोटो चिपकाए (हस्ताक्षर सहित)

सफल निविदाकार की नियुक्ति हेतु

अनुबंध पत्र
नमूना प्रति

मेरे/हमारे द्वारा दिनांक ..... को छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, को प्रस्तुत ई–निविदा के प्रत्युत्तर में कार्पोरेशन के मुख्यालय/जिला कार्यालय को किराये पर वाहन उपलब्धक कराये जाने के लिये संविदा स्वीकृत करने के लिये सहमत हैं। अतः मैं/हम (यहां संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स ..... जो कि एक पंजीयत भागीदारी फर्म/स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप फर्म/कंपनी है और जिसके भागीदार/स्वामी) श्री ..... पुत्र श्री ..... निवासी ..... एवं फर्म का पंजीकृत पता ..... (जिसे इसको आगे वाहन प्रदायदाता कहा गया है, जिसमें अभिकर्ता, प्रबंधक, भागीदार, कार्यकर्ता, उत्तराधिकारी, दायाद, अभिहस्तांतरित या प्रशासक शामिल हैं) एवं छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड (जिसे इसमें इसका आगे कार्पोरेशन कहा गया है) के बीच आज दिनांक ..... को यह अनुबंध निष्पादित करता हूं/करते हैं और इसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूं/करते हैं कि मैंनें/हमने किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. द्वारा आमंत्रित निविदा कमांक .....दिनांक ..... तथा संविदा की सामान्य शर्तों और उसके अनुबंधों, निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया गया है और उन्हें समझ लिया है और उनसे आबद्ध रहने का अनुबंध करता हूं/करते हैं। मैं/हम, मेरे/हमारे द्वारा छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप प्रस्ताव पत्र कमांक ..... दिनांक ..... में जो इस अनुबंध का एक भाग है, मैं/हम विनिर्दिष्ट की गई दरों पर निविदा के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार उक्त कार्य स्वेच्छा से ले रहा हूं/ले रहे हैं। मैं/हम उक्त कार्पोरेशन को यह आश्वासन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यन्त सभी अवस्थाओं में मेरी/हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा/करेंगे।

यह अनुबंध दिनांक ..... से ..... तक के लिये या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढ़ाई जाए, लागू रहेगा।

(संविदाकार)
वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है

साक्षी: –
(1) हस्ताक्षरः– .....
नामः– .....
पताः– .....
.....
मोबाइल/टेलीफोन नं.:– .....

(2) हस्ताक्षरः– .....
नामः– .....
पताः– .....
.....
मोबाइल/टेलीफोन नं.:– .....

कार्पोरेशन की ओर से
अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी: –
(1) हस्ताक्षरः– .....
नामः– .....
पताः– .....
.....
मोबाइल/टेलीफोन नं.:– .....

(2) हस्ताक्षरः– .....
नामः– .....
पताः– .....
.....
मोबाइल/टेलीफोन नं.:– .....

Scanned with OKEN Scanner

C.G. STATE CIVIL SUPPLY CORPORATION LTD.

HEAD OFFICE, BLOCK-7 A, SECOND FLOOR
OFFICE COMPLEX, SECTOR-24, NAVA RAIPUR ATAL NAGAR
RAIPUR (C.G.), PH- 0771- 2973480 Email Id- nanheadoffice@gmail.com

INTEGRITY PACT

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील
निगम में किराये पर वाहन लिये जाने हेतु निविदा प्रपत्र वर्ष 2023–2024

Scanned with OKEN Scanner

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1 This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on .....day of the month.....20....., between, the Government of Chhattisgarh acting through Shri.....(Designation of the officer, Department) Government of Chhattisgarh (here in after called the "BUYER", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (name of the Stores/Equipment/Work/Service) and M/s.....represented by Shri .....Chief Executive Officer(hereinafter called the "BIDDER/Seller." which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors an permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/has offered.

1.2 WHEREAS the BIDDER is a Private Company/Public Company/Government Undertaking/Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER is a Ministry/Department of the Government, performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER and the BIDDER agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to :-

2.1 Enabling the BUYER to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and

2.2 Enabling BIDDERs to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER

The BUYER commits itself to the following :-

3.1 The BUYER undertakes that no official of the BUYER, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2 The BUYER will, during the pre-contract stage, treat BIDDERs alike, and will provide to all BIDDERs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to the other BIDDERs.

3.3 All the officials of the BUYER will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official (s) is reported by the BIDDER to the BUYER with the full and verifiable facts and the same *prima facie* found to be correct by the BUYER, necessary disciplinary

Scanned with OKEN Scanner

proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the BUYER the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDERS

The BIDDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means an illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following :-

4.1 The BIDDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2 The BIDDER further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour of disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3 The BIDDER, further confirms and declares to the BUYER that the BIDDER in the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4 The BIDDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5 The BIDDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6 The BIDDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7 The BIDDER shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8 The BIDDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9 The BIDDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

Scanned with OKEN Scanner

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could Justify BIDDER,s exclusion from the tender process.

5.2 If the BIDDER makes incorrect statement on this subject, BIDDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1 Every BIDDER while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of .....

(ii) A confirmed guarantee by an India Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the .....(BUYER)..... on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP).

6.2 The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER and BUYER, including warranty period, whichever is later.

6.3 In the case of successful BIDDER a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4 No interest shall be payable by the BUYER to the BIDDER on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1 Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the BUYER to take all or any one of the following actions, wherever required :-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceedings with the other BIDDER(s) would continue. .....

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER and the BUYER shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER, and in case of the Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate while in case of a BIDDER from a country other than India with Interest there on at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the BUYER in connection with any other contract such outstanding payment could also utilized to recover the aforesaid sum and interest.

Scanned with OKEN Scanner

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to payment, already made by the BUYER, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contract with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

(vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broker with a view to securing the contract.

(xi) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER or any employee of the BIDDER or any person acting behalf of the BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER has financial interest/stake in the BIDDER's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filling of tender, Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependant upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related,

whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependant upon Government servant.

(xi) The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to

the BUYER resulting from such rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

7.2 The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER. However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1 The BIDDER undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER, if the contract has already been concluded.

Scanned with OKEN Scanner

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to payment, already made by the BUYER, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contract with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

(vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broker with a view to securing the contract.

(xi) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER or any employee of the BIDDER or any person acting behalf of the BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER has financial interest/stake in the BIDDER's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filling of tender, Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependant upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related,

whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependant upon Government servant.

(xi) The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to

the BUYER resulting from such rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

7.2 The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER. However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1 The BIDDER undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER, if the contract has already been concluded.

Scanned with OKEN Scanner

9. INDEPENDENT MONITERS

9.1 The BUYER will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2 The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3 The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4 Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/Subcontractor(s) with confidentially.

9.5 As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designed by the BUYER.

9.6 The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/Secretary in the Department/within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/BIDDER and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.

10. FACILITION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information to the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER.

12. OTHER LEGAL ACTION

This actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1 The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER and the BIDDER/Seller whichever is later. In case BIDDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2 If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at.....on .....

Scanned with OKEN Scanner

BUYER

BIDDER

CHIEF EXECUTTIVE OFFICER

Name of the Officer

Designation

Department/PSU

Witness

1.....
.....
.....

2.....
.....
.....

Witness

.....
.....
.....

.....
.....
.....

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील
निगम में किराये पर वाहन लिये जाने हेतु निविदा प्रपत्र वर्ष 2023–2024

Scanned with OKEN Scanner

Guidelines for bidders on using integrated eProcurement System Govt. of Chhattisgarh

https://eproc.cgstate.gov.in

Chhattisgarh Infotech Promotion Society

Scanned with OKEN Scanner

Change Log

Version	Author	Change Description	Reviewer	Date	Approver
1.0	Mjunction	-	CHiPS	10/02/16	CHiPS
1.1	Mjunction	Java ver. Update, Recommended Min. Bandwidth, Document size limit	CHiPS	06/04/16	CHiPS
1.2	Mjunction	Earnest Money section update	CHiPS	13/06/16	CHiPS
1.3	Mjunction	Added Registration & Renewal Fees	CHiPS	26/11/16	CHiPS
1.4	Mjunction	Update Help Desk Number & email	CHiPS	14/12/17	CHiPS
1.5	Mjunction	EMD Payment details	CHiPS	05/06/18	CHiPS
1.6	Mjunction	Bid Submissiion	CHiPS	18/10/19	CHiPS

Scanned with OKEN Scanner

TABLE OF CONTENTS

1	Vendor / Bidder Registration on the e-Procurement System	4
2	Digital Signature Certificates	4
3	Online Payment	5
4	Setup of User's Computer System	6
5	Publishing of N.I.T	6
6	Tender's Critical Dates & Time/Tender Time Schedule	6
7	Download Tender Document(s)	6
8	Submit Online Bids	6
9	Submission of Earnest Money Deposit	6
10	Opening of Tenders	7
11	Briefcase	7
12	Support – Help Desk	7

Scanned with OKEN Scanner

Note: These conditions will over-rule the conditions stated in the tender document(s), wherever relevant and applicable.

1. Vendor / Bidder Registration on the e-Procurement System:

All the Users / Bidders (Manufacturers / Contractors / Suppliers / Vendors / Distributors etc.) registered with and intending to participate in the Tenders of various Govt. Departments / Agencies / Corporations / Boards / Undertakings under Govt. of Chhattisgarh processed using the Integrated e-Procurement System are required to get registered on the centralized portal https://eproc.cgstate.gov.in and approved on specific class (e.g. A, B, C, D, UGE, UDE) from Public Works Department (in case to participate in tenders restricted to vendors / bidders in a particular class).

The non – registered users / bidders who are also eligible to participate in the tenders floated using the e-Procurement system are also required to be registered online on the e-Procurement system.

Vendors are advised to complete their online enrolment / registration process on the portal well in advance to avoid last minute hassle, it is suggested to complete enrolment at least four days before the last date of bid submission date, failing which may result in non-submission of bids on time for which vendor/end user shall be solely responsible. Also ensure to mention correct Bank account details during the registration, which will be referred during refund of unsuccessful EMD/Bid Security.

Vendors are required to pay online registration / enrolment fee of Rs. 500/- one time and renewal fee of Rs. 100/- for subsequent each year.

For more details, please get in touch with e-Procurement system integrator:

M/s. Mjunction Services Limited, Raipur – 492 001
Toll free 1800 419 9140 or
Email: helpdesk.cgeproc@mjunction.in.

2. Digital Signature Certificates:

The bids submitted online must be signed digitally with a valid Class II / Class – III Digital Signature Certificate to establish the identity of the bidders submitting the bids online. The bidders may obtain pair of Encryption & Signing Class – II / Class – III Digital Certificate issued by an approved Certifying Authority (CA) authorized by the Controller of Certifying Authorities (CCA), Government of India, may refer http://www.cca.gov.in/cca/?q=licensed_ca.html.

Note: It may take up to 7 to 10 working days for issuance of Class-II / Class-III Digital Certificate, Therefore the bidders are advised to obtain it at the earliest. It is compulsory to possess a valid Class-II / Class-III Digital Certificate while registering online on the above mentioned e-Procurement portal. A Digital Certificate once mapped to an account / registration cannot be remapped with any other account / registration however it may be inactivated / deactivated.

Scanned with OKEN Scanner

Important Note: Bid under preparation / creation for a particular tender may only be submitted using the same digital certificate that is used for encryption to encrypt the bid data during the bid preparation / creation / responding stage. However bidder may prepare / create and submit a fresh bid using his/her another / reissued / renewed Digital Certificate only within the stipulated date and time as specified in the tender.

In case, during the process of a particular bid preparation / responding for a tender, the bidder loses his/her Digital Certificate for any reason, they will not be able to submit the same bid under preparation online .Hence the bidders are advised to keep their Digital Certificates secure to be used whenever required and comply with IT Act 2000 & its amendments and CVC guidelines.

The digital certificate issued to the authorized user of an individual / partnership firm / private limited company / public limited company / joint venture and used for online bidding will be considered as equivalent to a no-objection certificate / power of attorney to the user.

Unless the certificate is revoked, it will be assumed to represent adequate authority of the specific individual to bid on behalf of the organization / firm for online tenders as per Information Technology Act 2000. This authorized user will be required to obtain a valid Class-II / Class-III Digital Certificate. The Digital Signature executed through the use of Digital Certificate of this authorized user will be binding on the organization / firm. It shall be the responsibility of management / partners of the concerned organization / firm to inform the Certifying Authority, if the authorized user changes, and apply for a fresh digital certificate for the new authorized user.

3. Online Payment: As the bid is to be submitted only online, bidders are required to make online payment(s) of the Registration fee / Transaction or Service fees / EMD using the online payments gateway services integrated into the e-Procurement portal using various payment modes like Credit Card / Debit Card / Internet Banking / Cash Card / NEFT / RTGS etc. Bidders are advised to initiate and process the eChallan/NEFT/RTGS payments well before bid due date in order to get the same updated in the eProcurement system, Also refer RBI guidelines for NEFT/RTGS payment.

For the list of available online modes of electronic payments that are presently accepted on the online payments gateway services, please refer the link 'Payments accepted online' on the eProcurement portal https://eproc.cgstate.gov.in.

4. Setup of User's Computer System: In order to operate on the e-Procurement portal for a bidder / user, the computer system /desktop/laptop of the bidder is required to have Java ver.8.77, Internet explorer 9 / 11, latest Mozilla Firefox, Google Chrome with IE Tab V2 (Enhanced IE Tab).
A detailed step by step document on the same is available on the eProcurement portal home page. Also internet connectivity should be minimum one MBPS.

An auto setup utility is available on the eProcurement portal home page for its users to auto configure client system, link to auto setup: https://eproc.cgstate.gov.in --> Auto Setup.

5. Publishing of N.I.T.: For the tenders processed using the e-Procurement system, only a brief advertisement notice related to the tender shall be published in the newspapers and the detailed notice shall be published only on the e-Procurement system. Bidders can view the detailed notice, tender document and the activity time schedule for all the tenders processed using the e- Procurement system on the portal https://eproc.cgstate.gov.in.

Scanned with OKEN Scanner

6. Tender's Critical Dates & Time/Tender Time Schedule: The bidders are strictly advised to follow the tender schedule for their side of tasks activities and responsibilities require to participate in the tender.

All the activities / tasks of each tender are locked with the start date and time and end date & time at the time of uploading tender as set by the concerned department official.

7. Download Tender Document(s): The tender document and supporting document(s) can be downloaded only online. The tender document(s) will be available for download to concerned bidders after online publishing of the tender and up to the stipulated date & time as set in the tender.

8. Submit Online Bids:

Bidders have to submit their bid online after successful filling of forms within the specified date and time as set in the tender.

The encrypted bid data of only those bidders who have submitted their bids within the stipulated date & time will be accepted by the e-Procurement system. It is expected that the bidder complete his bid within stipulated timeline. Bid of the bidder who has not submitted his bid within the stipulated date & time will not be available during opening. It is recomeeended that bidders login and recheck their bid details & its status after bid submissiion in order to double sure submission of accurate bid data for respective tenders.

Size of bid documents uploaded during bid preparation should be less than five MB (for individual document) and over all bid documents should be less than fifty MB.

In Case of any concern for any tender/ bid submission, please register it in the Department/ CHips/ Help Desk well in advance before initiating opening process so that appropriate action can be taken.

9. Submission of Earnest Money Deposit: The bidders shall submit their Earnest Money Deposit Either as in usual physically sealed Earnest Money Deposit envelope and the same should reach the concerned office OR Online using payment gateway as stated in the Notice Inviting Tender/ Tender document. Bidders also have to upload scanned copy of Earnest Money Deposit instrument OR Online Payment /NEFT/RTGS receipt along with the reference details online.

Bidders who choose to pay Earnest Money Deposit (EMD) or bid security using online payment(s) mode like Internet banking/ Debit Card/ Credit Card/NEFT/RTGS/eChallan/wallet etc. would be entitled for online refund subject to tender terms & conditions and evaluation by respective department authority.

Intending bidder(s)/vendor(s)/user(s) are required to provide their relevant & correct account details during registration in the portal which shall be used for EMD/Bid Security refund purpose, bidder(s)/vendor(s)/user(s) shall be solely responsible for providing correct account details and CHiPS/System Integrator shall not verify account details provided and be not responsible for any loss/transfer of funds.

Bidder(s)/vendor(s)/user(s) may update their account details in their registration if desired, the last updated account details shall be considered for future payment(s)/refund(s) if applicable.

10. Opening of Tenders: The concerned department official receiving the tenders or his duly authorized officer shall first open the online Earnest Money Deposit envelope of all the bidders

Scanned with OKEN Scanner

and verify the same uploaded by the bidders. He / She shall also verify the scanned documents uploaded by the bidders, if any, as required. In case, the requirements are incomplete, the next i.e. technical and commercial envelopes of the concerned bidders received online shall not be opened.

The concerned official shall then open the other subsequent envelopes submitted online by the bidders in the presence of the bidders or their authorized representatives who choose to be present in the bid opening process or may view opened details online.

11. Briefcase: Bidders are privileged to have an online briefcase to keep their documents online and the same can be attached to multiple tenders while responding, this will facilitate bidders to upload their documents once in the briefcase and attach the same document to multiple bids submitting.

12. **Support – Help Desk**

For any further queries / assistance, bidders may contact:

1. The Service Integrator of e-Procurement system, M/s. Mjunction Service Ltd. on Help Desk Toll free No. 1800 419 9140 or email helpdesk.cgeproc@mjunction.in.

2. Mr. Shailesh Kumar Soni, Sr. Manager, Chhattisgarh Infotech & Biotech Promotion Society (CHiPS) on Tel. No. 0771 - 4014158 or email: pro-chips@nic.in.

Scanned with OKEN Scanner